राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2419/2025

हनुमान गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2025

आदेश की दिनांक : 09.04.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीबीईओ, मोहनगढ, जैसलमेर किया गया है और बिना किसी काउंसिलिंग प्रक्रिया अपनाये पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। डीपीसी की बैठक में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर चयनित किया गया था। अपीलार्थी

ने पदस्थापन के संबंध में प्रार्थना पत्र विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु कोई उचित निराकरण नहीं किया गया और वर्तमान पदस्थापन स्थान से 810 कि.मी. दूर अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है, जो नीति एवं नियमों के विपरीत है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीबीईओ, मोहनगढ, जैसलमेर किया गया है। आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत प्रदान की गई है और पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को नजदीकी स्थान पर पद रिक्त होने के बावजूद सवाई माधोपुर से जिला जैसलमेर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)